53

10

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कंन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /20118 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2018/1453

1– गोपाल कुंवर पिता गोविन्दसिंह, जाति राजपुत,

2– भारतसिंह पिता उमरावसिंह, जाति राजपुत,

3– मनोहरसिंह पिता उमरावसिंह, जाति राजपुत,

समस्त निवासीगण–ग्राम रोहलखुर्द, तहसील नागदा जिला उज्जैन म.प्र.

4– जसोदाबाई पति राजारामजी, जाति कुलमी निवासी–ग्राम मिनावदा, तहसील आलोट कृषक ग्राम रोहलखुर्द ----आवेदक

पार्टी अभिभाषक श्री दिनेश व्यास द्वारा प्रस्तुत दिनांक 29-01-18

अधीक्षक 29.1.18 आयुक्त कार्यालय उज्जैन

विरुद्ध

भगवानसिंह पिता बहादुरसिंह, जाति राजपुत, निवासी–ग्राम रोहलखुर्द तहसील नागदा जिला उज्जैन

..............अनावेदक

कैम्प उज्जैन पर प्राप्त 2/2/18

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नागदा के प्रकरण क्रमांक 6/अपील/17–18 में दिये गये आदेश दिनांक 19/12/2017 के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कर प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 29/12/2017 से असंतुष्ट एवम् दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि, अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी नागदा को धारा 129 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने का आदेश देने का कोई क्षेत्राधिकार नही हैं । सीमांकन आदेश देने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को हैं तथा सीमांकन भी विधिवत् सीमांकन शुल्क जमा करने के पश्चात् ही किया जा सकता है । मौजुदा प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सीमांकन आदेश देकर मौके पर ही कब्जा दिये जाने का जो आदेश दिया था तथा उसके पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा खड़ी फसल का जो कब्जा दिया गया हैं यह दोनो आदेश विधि, विधान और क्षेत्राधिकार के बाहर का होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/1453

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	